

वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजस्व अधिसूचना अनुसार)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण:-	
(i)	अनेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. भानुप्रतापपुर से पखांनजुर लाईन का निर्माण कार्य किया जाना स्वीकृत है।
(ii)	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत।	70.70 करोड़
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	पखांनजुर तहसील, कापसी, बान्दे एवं आस पास के क्षेत्रों में अत्यधिक विद्युत लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, इस समस्या के निराकरण हेतु पखांनजुर में 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना किया जाना स्वीकृत है। जिसके लिये 132 के.व्ही. भानुप्रतापपुर - पखांनजुर लाईन का निर्माण किया जाना है। इससे उस क्षेत्र में निरंतर गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति होने से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा एवं उस क्षेत्र के निवासियों को नये रोजगार उपलब्ध होंगे।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	परियोजना निर्माण से लाभ होगा।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से प्रदाय किये जाने से उस क्षेत्र में औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापित होंगे एवं निवासियों को रोजगार उपलब्ध होगा। सिंचाई के साधन में विस्तार होने से कृषि क्षेत्र में उन्नति होगी।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	37.919 हेक्टेयर वन भूमि में 132 के.व्ही. लाईन का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन किये जाने बाबत।
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	
(i)	परिवारों की संख्या।	निरंक
(ii)	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।	निरंक
(iii)	पुनर्वास योजना(संलग्न किए जाने के लिए)	निरंक

4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हाँ/नहीं)	निरंक
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता(संलग्न की जाए) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है?(हाँ/नहीं)	शासन के द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित किया जाएगा वह छ.रा.वि. पारे.कंपनी द्वारा पालन किया जाएगा।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	प्रस्ताव में लगाया जाएगा।

हस्ताक्षर



नाम साफ अक्षरों में:- आर.यू.विश्वकर्मा

पद नाम:- कार्यपालन अभियंता

पता (प्रयोक्ता एजेंसी)

अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग भिलाई।

दिनांक:- 23/02/15

स्थान:- भिलाई

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक सं.

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडलाधिकारी के द्वारा भरा जाये।)